an>

Title: Need to exempt Bundi city in Rajasthan from the forest laws applicable to regions surrounding Ramgarh wildlife sanctuary to facilitate the development works in the city.

श्री ओम बिरला (कोटा) : मेरे लोक सभा क्षेत्र में आने वाले बूंदी शहर में वन विभाग द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 79, दिनांक 20 जून 1982 के आधार पर वन्य जीव अभ्यारण्य रामगढ़ की सीमा के अंतर्गत बूंदी शहर का लगभग तीन चौथाई हिस्सा मानते हुए समस्त निर्माण कार्य, रिजिस्ट्री, बैंक ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड आदि सभी सुविधाओं पर रोक लगा दी गयी । उक्त रोक से लगभग डेड लाख की आबादी सीधे प्रभावित हो रही है ।

उल्लेखनीय है कि, यह अधिसूचना जब 1982 में जारी हो गई थी तो तब से 2011 तक वन विभाग द्वारा जमाबंदी नहीं करायी गयी और वर्ष 2011 में उक्त अधिसूचना के आधार पर सारे प्रतिबंध लागू कर दिये ।

बूंदी शहर का अधिकांश क्षेत्र उक्त अधिसूचना से पूर्व तथा सदियों से आबाद है जिसको वन अभ्यारण्य से मुक्त करने हेतु तत्कालीन जिला कलेक्टर ने भी वन एवं राजस्व विभाग के संयुक्त सर्वे रिपोर्ट सहित अनुशंसा की है ।

पूरे बूंदी शहर की जनता इस गंभीर समस्या से त्रस्त है और गत तीन वर्षों से आंदोलन कर रही है। अतः मेरी मांग है कि उक्त क्षेत्र को अभ्यारण्य सीमा से मुक्त कराने की कार्यवाही यथाशीघ्र करकर बूंदी के अवरूद्ध विकास को पुनः गति दी जाये ताकि 1 लाख 50 हजार की आबादी को राहत मिल सके ।